भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2528
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

2528. **श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्ष 2018 से आज की तारीख तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की रिक्तियों के लिए विज्ञापित पदों की संख्या कितनी है और चयन प्रक्रिया का ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में लंबे अंतराल के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)/केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में गंभीर कमी है और यदि हां, तो दोनों जिलों में कुल स्वीकृत पदों, कार्यरत शिक्षकों और रिक्त पदों की संख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का टीईटी/सीटीईटी योग्य उम्मीदवारों की शीघ्र नियुक्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ समन्वय करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश विद्यालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। अतः शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और उनकी तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षकों की बढ़ती आवश्यकता आदि जैसे अनेक कारणों से रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की रिक्तियों के लिए वर्ष 2018 से अब तक देश भर में विज्ञापित पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया का ब्यौरा और

उसकी वर्तमान स्थिति, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखी जाती है।
सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की सलाह देती है ताकि स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा सदृश संगठनों के माध्यम से पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों की समय पर भर्ती सुनिश्चित की जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा, जिसमें निरंतरता और निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जाता है, के माध्यम से शिक्षक रिक्तियों को भरने की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान अभ्यास के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्शों के साथ-साथ बैठकों के माध्यम से की जाती है।

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की राजपत्र अधिसूचना समय-समय पर यथा संशोधित के माध्यम से, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न स्तरों की स्कूल शिक्षा के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसा कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में समय-समय पर यथा संशोधित मानदंडों के अनुसार निर्धारित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 में प्रत्येक स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 30:1 से कम और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में पीटीआर 25.1 से कम सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। यूडाइज+ 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार देश का पीटीआर 27:1 था, जो यूडाइज+ 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार मूलभूत स्तर पर 10, आरंभिक स्तर पर 13, मिडिल स्तर पर 14 और माध्यमिक स्तर पर 21 हो गया है।

*****